

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 93/2015 के अन्तर्गत ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.665 है० वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दोगुने अर्थात् 3.330 है० के वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम तल्ला बगड़ तहसील नैनीताल की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपर्युक्त होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त किया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में श्रेणी नान ज्येड खाता सं० 32 के खसरा नं० 148 मध्ये रकवा 3.330 है० भूमि सिविल सोयम भूमि के रूप में दर्ज है। जिसे जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश सं० 268/12-ज्येड ए०सी०/2020 दिनांक 29.09.2020 के क्रम में तहसीलदार नैनीताल के आदेश दिनांक 05.10.2020 के द्वारा वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया है।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)